

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

व. नं. गुरमेल सिंह आदि बनाम राज. सरकार आदि

आ. संख्या 03, 2025 अन्तर्गत धारा 251(A) RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
8 <sup>9</sup> / <sub>25</sub>	<p>अधिवक्तागण उपरिष्ठ। प्राथमिक अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTA गैटप्रेस किया। प्राथमिक अधिवक्ता को सूना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राथमिक अधिवक्ता द्वारा प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTA गैटप्रेस करने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली गिणीति लेकर नम्बर से कर लेकर दाखिल दफ्तर है।</p>	<p>Not Press अपेक्षा है।</p>



सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्री करणपुर (श्री गंगानगर)